

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण

संख्या-प0नि0 30-144/2021

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,

सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला

निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

नालन्दा।



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पटना, दिनांक- 13.4.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-83 नि0/पं0, दिनांक-07.04.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त सहायक मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बिहार शरीफ	0	1	1	
	कुल	0	1	1	

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक- 2112 /-

पटना, दिनांक- 13.4.21/-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव 13/04/2021

आयोग को अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली सहायक मतदान केन्द्रों की सूची

सं.	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थान	संशोधन का कारण/ औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रानि0 क्षेत्र संख्या.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क0.....सेतक)	भवन सरकारी/ अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

जिला - नालंदा

प्रखंड - बिहारशरीफ

ग्राम पंचायत - मुरौरा

123	सामुदायिक भवन चैनपुरा (पूर्वी भाग)	123(क) उर्दू प्राथमिक विद्यालय चैनपुरा (पू0 भाग)	सामुदायिक भवन चैनपुरा (पूर्वी भाग) में अतिरिक्त कमरा और चलत मतदान केन्द्र बनाये जाने हेतु पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण सामुदायिक भवन चैनपुरा (पूर्वी भाग) से 50 मी की दूरी पर अवस्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय चैनपुरा में सहायक मतदान केन्द्र बनाया जा सकता है। वर्ष 2016 का पंचायत आम निर्वाचन यहाँ शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाया जा चुका है।	10/चैनपुरा	887-1772=886	सरकारी	1	0-1 कि०मी०	हों	हों	पूर्व से अनुमोदित है।
-----	------------------------------------	--	---	------------	--------------	--------	---	------------	-----	-----	-----------------------

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (प०)

-सह-

जिला पदाधिकारी, नालंदा।